न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुरेश कुमार चावला (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 99 / 2018

उनवान

1. अशोक कुमार,
2. महेशचन्द पि0 बृजलाल जाति गुर्जर नि0 बाबू मौहल्ला नसीराबाद

—— प्रार्थीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री नौरतमल जैन

बनाम

1. रामदेव,
2. धनराज,
3. त्रिलोक पि0 बालूराम,
4. विमला देवी पत्नी केदार पुत्रवधु बालूराम,
5. स्वतंत्र,
6. विकम पुत्र केदार पौत्र बालूराम, जाति गुर्जर नि. बाबू मौहल्ला, नसीराबाद,
7. उप पंजीयक नसीराबाद,
8. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद,
9. निरंजन सिंह,
10. विश्वजीत,
11. उषा पि0 दौलतराम जाति गुर्जर नि0 महावीर मार्ग रामदेव मन्दिर रोड शास्त्री नगर, भीलवाडा,
12. सन्तोष पत्नी चन्द्र प्रकाश जाति गुर्जर नि0 काली माई मौहल्ला नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :– 1 से 6 जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी
7 व 8 जरियें राज0 पैरोकार
9 से 12 अनुपस्थित

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 1955 व धारा 151 सी0पी0सी0 .

–: आदेश :–

दिनांक :– 3.4.19

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम धोलादांता देराठू की निम्न आराजी प्रार्थीगण की बापौती कृषि भूमि है :–

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

—2

Scanned by CamScanner

चौसाला ख0न0	रकबा	वंर्किग ख0न0	हाल ख0न0	रकबा
43	2–5–10	59	40	0.09
		-	43	0.28

आराजी मुतनाजा चौसाला खसरा नम्बर 43 रकबा 2–5–10की भूमि चौसाला जमाबंदी सम्वत 2018–21 व 2019 से 2022 के अनुसार बृजलाल पुत्र श्योनाथ जाति गुर्जर गैर खातेदार के नाम दर्ज थी। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2035 से 2038 व 2039 से 2042 में बृजकिशोर के नाम दर्ज है। व बृजलाला के नाम कालॅम स. 6 में नियमन दर्ज है। बृजलाल ने अपने जीवनकाल में उक्त आराजी पर सुधार कार्य कर काश्त की है। आराजी मुतनाजा पर बृजलालाव उनके स्वर्गवास के बाद प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 9 से 12 ही काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त आराजी पर प्रार्थीगण का कब्जा 50 वर्षो से चला आ रहा है। उक्त आराजी बाद के राजस्व अभिलेख में त्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक दर्ज कर दी गयी व भैरूलाल व बालूराम पि0 रामचन्द्र के पक्ष में दिनांक 28.5.84 को अवैधानिक रूप से आवंटन की गयी। उक्त आवंटन आदेश दिनांक 28.5.84 के विरूद्व प्रकरण संख्या 16/02 अन्तर्गत नियम 14(4) नियमन/आंवटन में श्रीमान अपर कलक्टर महोदय, अजमेर के न्यायालय ने दिनांक 13.5.13 को आदेश पारित कर निर्देश दिये गये कि खातेदारी भूमि के सन्दर्भ में नियमन 14 (4) के अन्तर्गत खातेदारी समाप्त नही की जा सकती है। खातेदारी अधिकरों की घोषणा हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिये। उक्त आदेश की अपील राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय को पेश की गयी जिसमें प्रकरण दिनांक 21.10.03 को पुनः प्रतिप्रेषित किया गया। इस आदेश के विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष अपील 42/03 पर पारित निर्णय दिनांक 14.10.05 के अनुसार प्रकरण पुनः राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। जिस पर दिनांक 16.2.06 के अनुसार अपील निरस्त की गयी तदुपरांत राजस्व मण्डल अजमेर में अपील संख्या 2919/2006 प्रस्तुत की गयी जो अपील निरस्त क्री गयी। व कलक्टर महोदय अजमेर के आदेश दिनांक 13.5.3 को यथावत रखा गया। उक्त आदेश के विरूद्व वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय राज0 जयपुर में याचिका विचाराधीन है। अतः अर्प्रार्थीगण को पाबद किया जावे कि आराजी मुतनाजा का अन्यत्र हस्तांतरण नही करे प्रार्थर्भगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी नही करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 6 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि उक्त आराजी जवाबकर्ता को व उनके पूर्वजों को दिनांक 28.5.84 को राजस्व कैम्प भटियानी में लगातार कब्जे काश्त के आधार पर आवंटन हुयी थी। जिसकी पालना में नामान्तकरण संख्या 24 दिनांक 5.8.02 को वंर्किग जमाबंदी में जवाबकर्ता के नाम दर्ज की गयी। एवं जवाबकर्ता उक्त आराजी पर पुश्तैनी समय से काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रार्थीगण की अपील खारिज की जा चूकी है व अप्रार्थीगण क आंवटन को विधिवत माना गया है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खरिज किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 9 से 12 प्रकरण में अनुपस्थित रहे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण का व उनके पूर्वजो का कब्जा काश्त कदीम से चला आ रहा है जिसकी ताईद खसरा गिरदावरी व चौसाला जमाबंदी से होती है। बाद के राजस्व अभिलेख में त्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक दर्ज कर दी गयी व भैरूलाल व बालूराम पि0 रामचन्द्र के पक्ष में दिनांक 28.5.84 को अवैधानिक रूप से आवंटन की गयी। आवंटन के सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालय में अपरल की गयी वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका विचाराधीन है जिसमें स्थगन पारित किया हुआ है। माननीय अपर कलक्टर महोदय ने भी अपने आदेश में खातेदारी उद्घोषणा के अनुतोष हेतु निर्देशित किया था। व खातेदारी उद्घोषणा के वाद की कोई मियाद नही होती है। अप्रार्थीगण ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया है जिसके द्वारा प्रार्थीगण से कब्जा प्राप्त कर उन्हे आराजी मुतनाजा का कब्जा दिया गया

—3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। विद्वान अधिवक्ता वादी ने दौराने बहस आर.बी.जे. (23) 2016 राज 519 से 524, पेज 102 से 107, 2016 आर.बी0जे0 303 पेज 303 से 312, आर.आर.टी. 2016 (1) पेज 560 से 563, आर.आर.टी. 2018 (1) पेज 625 से 627, 215 (1) डी.एन.जे. राज0 पेज 218 से 222, आर.आर. टी 2014 (2) पेज 1127 से 1129 की नजीर व उच्च न्यायालय जयपुर का आदेश पेश किया।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया कि वादग्रसत आराजी उनकी आवंटनशुदा है जिसे किसी भी न्यायालय द्वारा निरस्त नही किया गया है। अप्रार्थीगण आराजी मुतनाजा के रेकार्डेड खातेदार है। खातेदारी उद्घोष्णा का वाद विलम्ब से पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस आर.बी.जे. (18) 2011 पेज 174 से 176,आर.आर.टी. 2015 (2) पेज 1115 से 1118, पेज 618 से 623, आर.बी.जे. (10) 2003 पेज 490 से 493, आर.बी.जे. (11) 2004 पेज 164 से 165 व पेज 270 से 272 की नजीर पेश की।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत नजीरो का सम्मान पूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र में निम्न अनुसार आदेश पारित किये जाते है :–

1. <u>प्रथम दृष्टया मामला</u> :– पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी हाल राजस्व अभिलेख में अप्रार्थी की खातेदारी की है। चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2018 से 2021 में चौसाला खसरा नम्बर 43 रकबा 2–5–10 बृजलाल पुत्र श्योनाथ के नाम गैर खातेदारी दर्ज थी। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2019, 2023 से 2026, 2027 से 2030, 2031 से 2034, 2035 से 2038, 2039 से 2041 में उक्त आराजी पर बृजलाला पुत्र श्योनाथ के नाम की काश्त र्ज है एवं नियमन का नोट भी अंकित है। वंर्किग जमाबंदी में आराजी मुतनाजा के वंर्किग खसरा नम्बर 59 रकबा 2–5–10 भैरूलाल, बालूराम पुत्र रामचन्द्र के नाम गैर खातेदारी व दिनांक 20.6.92 से खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवंटन फार्म में वंर्किग खसरा नम्बर 59 रकबा 2–5–10 में पहले बृजलाल का नाम अंकित है जो बाद में काट कर भैरूलाल, बालूराम पुत्र रामचन्द्र का नाम दर्ज किया गया। सम्वत् 2050 के बाद की खसरा गिरदावरी में उक्त आराजी पर भैरूलाल, बालूराम पुत्र रामचन्द्र के नाम काश्त दर्ज है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को हुये आंवटन के विरूद्व सक्षम न्यायालय में चाराजोही भी की गयी। जिसमें प्रार्थी की अपील निरस्त कर दी गयी है एवं वर्तमान में आवंटन के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका विचाराधीन है। माननीय न्यायालय अपर कलक्टर महोदय ने अपने आदेश दिनांक 13.5.03 में अंकित किया है कि खातेदारी अधिकार मिलने के बाद आवंटन कार्यवाही समाप्त हो जाती है। तथा उसके बाद खातेदारी को राज. काश्त. अधि. 1955 के तहत ही रद्द किया जा सकता है। जिस कारण प्रार्थीगण द्वारा हाजा न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत प्रकरण में आराजी मुतनाजा पूर्व राजस्व अभिलेख में प्रार्थीगण/पूर्वजों के नाम गैर खातेदारी व कब्जे काश्त में थी हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा पुनः अप्रार्थी पक्ष के नाम आवंटित हो कर उनकी खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीगण का कथन है कि पूर्व आंवंटन जो प्रार्थी के पूर्वजों को हुआ था को बिना निरस्त किये अप्रार्थीगण को पुनः आवंटन किया गया है। आवंटन के सम्बन्ध में उभयपक्ष द्वारा विभिन्न न्यायालयों में चाराजोही की गयी। जिसकी अपील वर्तमान में राज0 उच्च न्यायालय जयपुर में विचाराधीन है व उच्च न्यायालय द्वारा दोनो पक्षों को यथास्थिति रखने के आदेश पारित किये गये है। अप्रार्थीगण का कथन है कि वे रिकार्डेड खातेदार है अतः उनके विरूद्व अस्थायी निषेघाज्ञा जारी नही की जा सकती है। किन्तु प्रस्तुत प्रकरण भिन्न प्रकृति का है। प्रथम दृष्टया यह सिद्व होता है कि आराजी मुतनाजा पूर्व राजस्व अभिलेख में प्रार्थीगण के पूर्वज के नाम गैर खातेदारी दर्ज थी। व पूर्वजों का कब्जा काश्त भी उक्त आराजी पर

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner

।। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी की वाद विचारण के दौरान रक्षा किया जाना आवश्यक है। वाद विचारण दौरान आराजी मुतनाजा के राजस्व रेकार्ड अथवा मौके की स्थिति में परिवर्तन होता है तो वाद बहुलता होगी।

प्रथम दृष्टया मामला सद्भावपूर्वक उठाया गया सारभूत प्रश्न होता है। जिसका गुणावगुण व अन्वेषण के आधार पर विनिश्चय किया जाता है। इसलिये साबित करने का भार प्रार्थी पर है। एवं उक्त विवेचन अनुसार प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थीगण सिद्व होता है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :– विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेघाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थी आराजी मुतनाजा के रिकार्डेड खातेदार है। अप्रार्थीगण का कथन है कि रेकोर्ड खातेदार के विरूद्व अस्थायी निषेघाज्ञा जारी नही की जा सकती एवं प्रार्थी द्वारा उनके आवंटन को निरस्त नही कराया गया है। किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थी को अहुये आवंटन के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय जयपुर में कार्यवाही विचाराधीन है। जिसमें अपीलीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया है। किन्तु वाद विचारण के दौरान अप्रार्थीगण द्वारा भूमि का अन्यत्र हस्तांतरण किया जाता है अथवा भूमि की प्रकृति में परिवर्तन किया जाता है तो वाद बहुलता की सभांवना से इंकार नही किया सकता है। एवं ऐसी परिस्थितियों में उसके विरूद्व व्यायादेश जारी किया जाना न्यायोचित होगा। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्व होती है।

3. सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को हाने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष है। तद्नुसार सुविधा का संतुलन भी बहक प्रार्थी सिद्व होता है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीर प्रकरण में चस्पा पाई जाती है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

आदेश :– अतः ग्राम धोलादांता देराठू के हाल खसरा नम्बर 40 रकबा 0.09 व 43 रकबा 0.28 की आराजी पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरियें अस्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जाता है कि आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी नही करे व उक्त आराजी अन्यत्र हस्तांतरण नही करे। राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Scanned by CamScanner